अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 02.08.14 को सदर अस्पताल मुंगेर परिसर का किए गए औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

---

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.08.14 को अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, प्रभारी मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर के साथ सदर अस्पताल, मुंगेर परिसर में चल रही चिकित्सीय व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन, मुंगेर, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित पाए गए। औचक निरीक्षण के दौरान चिकित्सीय व्यवस्था को सुचारू एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितता हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :-

<u>उपस्थिति :-</u>

सर्वप्रथम निरीक्षण को दिवस प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर को चिकित्सकों के ऑनलाईन जेनरेटेड उपस्थिति के अनुसार वास्तविक उपस्थिति की समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के प्रदत्त निदेश के अनुपालन में उनके द्वारा समर्पित चिकित्सकों के ड्यूटी चार्ट के अनुसार AOC में कार्यरत् चिकित्सक डॉ0 आर0पी0 सिंह अनाधिकृत अनुपस्थित पाए गए। उक्त के संबंध में सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए 48 घंटे के अन्दर उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए अपना मन्तव्य अंकित कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे। साथ ही स्पष्टीकरण निष्पादन होने तक उनका मानदेय भुगतान स्थगित रखा जाता है।

सुरक्षित गर्भपात केन्द्र अवस्थित प्रसव केन्द्र अन्तर्गत नियमित टीकाकरण कक्ष के निरीक्षण के क्रम में उपस्थिति पंजी के अनुसार कार्यरत् सभी चिकित्सकों की वास्तविक उपस्थिति की जाँच करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को दिया गया, जिन्होंने बताया कि सभी चिकित्सक उक्त अवधि तक अनुपस्थित हैं। चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया गया इस प्रकार का कृत्य घोर लापरवाही, उद्दंडता एवं कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं अरूचि को दर्शाता है। अतः सिविल सर्जन, मुंगेर उपरोक्त सभी चिकित्सकों से उनकी अनुपस्थिति के निमित्त निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण पूछते हुए अपना मन्तव्य अंकित कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे। साथ ही स्पष्टीकरण निष्पादन होने तक उनका मानदेय भुगतान स्थगित रखा जाता है।

<u>अस्पताल परिसर की सफाई व्यवस्था :-</u>

सिविल सर्जन, मुंगेर के कार्यालयी भवन अर्थात् विशेषज्ञ चिकित्सा बाह्य कक्ष के आस-पास तथा सदर अस्पताल, मुंगेर परिसर में यत्र-तत्र, यथा-आपातकालीन वार्ड, सुरक्षित गर्भपात केन्द्र, पुरूष सर्जिकल वार्ड सं0-1/2, शिशु वार्ड इत्यादि स्थानों पर फैली गंदगी की अविलम्ब सफाई कराते हुए नियमित रूप से सुदृढ़ व्यवस्था के तहत् ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश सिविल सर्जन, मुंगेर को दिया गया।

<u>ECG जाँच कक्ष :-</u>

ECG जाँच कक्ष के निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुआ कि निरीक्षण दिवस दिनांक 02.08.14 को कुल 07 ECG जाँच किया गया है। जाँच कक्ष में संधारित पंजी के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि आज कितने मरीजों को अन्यत्र रेफर किया गया है, क्योंकि पंजी में उपरोक्त की प्रविष्टि नहीं की जाती है। इस निमित्त सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त जाँच कक्ष में संधारित पंजी में एक कॉलम बढ़ाकर रेफर होने वाले मरीजों की प्रविष्टि सुनिश्चित कराएँगे।

<u>आपातकालीन वार्ड :-</u>

सिविल सर्जन, मुंगेर से यह पृच्छा किए जाने पर कि आपातकालीन कक्ष में उपयोग में लाई जाने वाली ऑक्सीजन उपकरण में ऑक्सीजन की क्षमता के अनुरूप समाप्त होने की अवधि एवं ऑक्सीजन डाले जाने की आवश्यकता का आकलन कैसे किया जाता है,

के संबंध में कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया जा सका। इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त ही चिंताजनक एवं त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने की शिथिलता का परिचायक है। निरीक्षण दिवस को प्रभारी मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा किए गए जाँच के उपरान्त अवगत कराया गया कि ऑक्सीजन सिलेन्डर से संबंधित स्टॉक पंजी संधारित नहीं किया जाता है तथा भौतिक सत्यापनोपरान्त कुल 06 सिलेन्डर उपलब्ध पाए गए हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि ऑक्सीजन उपकरण के त्वरित/आपात उपयोग हेतु ऑक्सीजन की क्षमता के अनुरूप ऑक्सीजन भरे जाने एवं समाप्त होने के आकलन की प्रविष्टि पंजी में अवश्य करायी जाए, ताकि ऑक्सीजन उपकरण में ऑक्सीजन को सही समय पर डाले जाने की कार्रवाई की जा सके। साथ ही आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्तित ऑक्सीजन सिलेन्डरों की उचित गणना हेतु नियमतः स्टॉक पंजी संधारित कराया जाए।

आपातकालीन कक्ष के निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन, मुंगेर द्वारा बताया गया कि विद्युत सम्पर्कता के तहत् ट्रांसफॉर्मर में अर्थिंग की गड़बड़ी की वजह से वोल्टेज की कमी रहती है जिससे चिकित्सा उपकरणों को संचालित करने में काफी कठिनाई होती है। निदेश दिया गया कि इस आशय की विस्तृत जानकारी कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को पत्राचार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए तथा समन्वय स्थापित कर विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

आपातकालीन वार्ड के द्वार पर रखे डस्टबीन में रखी जाने वाली गंदगी को प्रतिदिन साफ कराने की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश सिविल सर्जन, मुंगेर को दिया गया। उल्लेखनीय है कि डस्टबीन भरा पड़ा पाया गया, जो काफी गंदा भी था तथा यह प्रतीत हो रहा था कि प्रतिदिन डस्टबीन की सफाई तथा नियमानुसार कचरा प्रबंधन भी नहीं किया जाता है।

निरीक्षण के दौरान यह परिलक्षित होना तो कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही की अंतिम पराकाष्ठा को इंगित करता है कि आपातकालीन कक्ष के मुख्य द्वार पर टंगी दवाओं की Display Board को काफी समय से अद्यतन नहीं किया गया है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यन्त रोष व्यक्त करते हुए सिविल सर्जन, मुंगेर का निदेश दिया गया कि 24 घंटे के अन्दर दवाओं की Display Board को अद्यतन कराया जाए।

<u>चिकित्सक ड्यूटी चार्ट :-</u>

निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुआ कि सदर अस्पताल, मुंगेर में पदस्थापित कुल 21 चिकित्सकों से प्रतिदिन के हिसाब से चिकित्सीय कार्य नहीं लिया जा रहा है, जो खेद का विषय है। इस संबंध में सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सदर अस्पताल, मुंगेर में पदस्थापित कुल 21 चिकित्सकों का दैनिक रोस्टर तैयार कर सभी चिकित्सकों को प्रतिदिन समान रूप से कार्य आवंटन करते हुए ड्यूटी चार्ट के अनुसार कर्त्तव्य निर्वहन का निदेश देंगे तथा ड्यूटी चार्ट की प्रति नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त का अनुपालन किसी चिकित्सक द्वारा नहीं किया जाता है तो संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे।

<u>पुरूष सर्जिकल वार्ड सं0-1 एवं 2 :-</u>

पुरूष सर्जिकल वार्ड नं0-1 में भर्त्ती मरीजों को ईलाज के क्रम में दी जाने वाली खाद्य सामग्री के संबंध में बेड नं0-5 के मरीज द्वारा बताया गया कि निर्धारित मेनू के अनुसार खाद्य सामग्री किसी भी समय नहीं दिया जाता है। इसी दरम्यान उपर मुख्य

चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि मेनू के अनुसार पूर्व निर्धारित शुल्क 50/- रू0 में किसी भी संस्था/एजेन्सी द्वारा भोजन उपलब्ध कराए जाने से इनकार किया गया है। इसके लिए दो बार निविदा आमंत्रित भी की गई, परन्तु सफलता नगण्य रही। निदेश दिया गया कि मेनू के अनुसार शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव समाहित करते हुए सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी से विभाग को अवगत कराया जाए, क्योंकि यदि मेनू के अनुसार मरीजों को भोजन/नाश्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो फिर उसका डिस्प्ले करने का कोई औचित्य हीं नहीं है। इस संबंध में सिविल सर्जन, मुंगेर अपने स्तर से जाँच कर समन्तव्य प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पुरूष सर्जिकल वार्ड नं0-1 में भर्त्ती मरीजों के इस्तेमाल में लाए जा रहे बेड की स्थिति अच्छी नहीं पाए जाने तथा नियमित रूप से चादर नहीं बदले जाने पर खेद व्यक्त करते हुए सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भर्त्ती मरीजों को नियमित रूप से याचित सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

पुरूष सर्जिकल वार्ड नं0-2, जहाँ सिर्फ डायरिया से पीड़ित रोगियों को भर्त्ती कराया जाता है, के निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुआ कि भर्त्ती मरीजों को स्वच्छता के दृष्टिगत् नियमित रूप से चादर बदलकर नहीं दिया जाता है तथा परिसर के आस-पास काफी गंदगी भी फैली हुई है। उपरोक्त के निमित्त सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि वार्ड एवं उसके आस-पास तथा सम्पूर्ण अस्पताल परिसर में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सफाई सुनिश्चित कराया जाए।

सुरक्षित गर्भपात केन्द्र परिसर :-

सुरक्षित गर्भपात केन्द्र अवस्थित प्रसव केन्द्र अवस्थित शिशु वार्ड से वात्सल्य पोषण पुर्नवास केन्द्र जाने वाली सीढ़ी अत्यन्त ही जीण-शीर्ण एवं टूटी-फूटी है, जिसकी मरम्मति अविलम्ब कराया जाना अत्यावश्यक है। इस हेतु सिविल सर्जन अविलम्ब कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर से सम्पर्क स्थापित कर मरम्मति कराना सुनिश्चित कराएँगे।

सोलर यूनिट ब्लड स्टोरेज कैबिनेट उपकरण :-

निरीक्षण के दौरान रेडक्रॉस ब्लड बैंक के समीप एक अन्य कमरे में अधिष्ठापित दो सोलर यूनिट ब्लड स्टोरेज कैबिनेट उपकरण में से एक के चालू रहने की जानकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा दी गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दूसरे उपकरण के बंद रहने की पृच्छा पर कोई प्रभावकारी उत्तर नहीं दिए जाने पर निदेश दिया गया कि सिविल सर्जन, मुंगेर दो दिनों के अन्दर उक्त उपकरण के बंद रहने के स्पष्ट कारण से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसे चालू कराने की कार्रवाई कराई जा सके।

2/8/14 4.8.14

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
O/C जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 2203/गो0, मुंगेर, दिनांक 06/8/14

प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/प्रभारी मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं निरीक्षण टिप्पणी में वर्णित तथ्यों के आलोक में उपरोक्त पदाधिकारियों के वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित रखने हेतु प्रेषित।

4/8/14 4.8.14

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।